(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 30/2015–2020
दिनांकः– 1 सितम्बर, 2020

विषयः– दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यात पर निर्यातकों को उपलब्ध एमईआईएस लाभ की अधिकतम सीमा/उच्चतम सीमा।

सा. आ. (अ): विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और एफटीपी के समर्थकारी पैरा 3.13 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. दो नए पैराग्राफ 3.04क और 3.04ख विदेश व्यापार नीति में निम्नानुसार, शामिल किए जाते हैं:

"3.04क

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत किसी आईईसी धारक को प्रदान किया जा सकने वाला कुल प्रतिफल 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि (अवधि जो शिपिंग बिल (बिलों) की मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख पर आधारित है) में किए गए निर्यात पर प्रति आईईसी 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी। कोई भी आईईसी धारक जिसने 01.09.2019 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान मान्य निर्यात आदेश की तिथि को कोई निर्यात नहीं किया है अथवा जिसने दिनांक 01.09.2020 को या इसके बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है, दिनांक 01.09.2020 से किए गए निर्यात के लिए एमइआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का कोई दावा प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकतम सीमा आगे पुनः संशोधित कर कम किए जाने के अधीन हो सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अवधि (01.09.2020 से 31.12.2020) हेतु स्कीम के अंतर्गत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन राशि, जो 5000 करोड़ रुपये है, से अधिक न हो।

3.04ख

एमईआईएस के तहत लाभ 01.01.2021 से किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

इस अधिसूचना का प्रभावः एमईआईएस के तहत कुल प्रतिफल पर एक सीमा रोपित की गई है ताकि 01.09.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में किए गए निर्यात के लिए किसी आईईसी धारक द्वारा दावा किया जा सकने वाली कुल प्रतिफल 2 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो। इसके अलावा यह भी अधिसूचित किया गया है कि किसी आईईसी धारक जिसने 01.09.2020 से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के लिए कोई निर्यात नहीं किया है अथवा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है एमईआईएस के तहत कोई दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही, यह अधिसूचित किया गया है कि एमईआईएस स्कीम को 01.01.2021 से वापस ले लिया गया है। उपर्युक्त अधिकतम सीमा आगे पुनः संशोधित कर कम किए जाने के अधीन हो सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अवधि (01.09.2020 से 31.12.2020) हेतु एमईआईएस के अंतर्गत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन राशि जो 5000 करोड़ रुपये है, से अधिक न हो।

अमित यादव
01/09/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

(फा. सं. 01/61/180/288/एएम–20/पीसी–3 (भाग–I) से जारी)